अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
सकारण आदेश

डुमराँव नगर परिषद के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में मेसर्स जितेन्द्र कुमार सिंह (संवेदक), ग्राम+पो0–फफदर, थाना–मुरार, जिला–बक्सर (बिहार) द्वारा निविदा में भाग लिया गया। इस निविदा में संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमंडल, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पत्रांक–217 दिनांक–20.02.2014 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया।

2. जाँचोपरांत कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–534 दिनांक–07.09.2015 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है।

3. मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–1855 दिनांक–21.09.2015 द्वारा उक्त संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत जाली कागजात के आधार पर निविदा लेने के प्रयास हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

4. विभागीय पत्रांक–6477 (E)We दिनांक–07.10.2015 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (ख) के प्रावधान के तहत संवेदक को कारण बताओं नोटिस दिया गया।

5. उक्त विभागीय पत्र के आलोक में संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–16.10.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के कंडिका–4 में उल्लेख किया गया है कि उन्हें (मेसर्स जितेन्द्र कुमार सिंह) व्यक्तिगत तौर पर कम्प्यूटर का ज्ञान अत्यंत कम है, जिसके कारण ई–टेंडरिंग पद्धति में साइबर कैफे के माध्यम से निविदा अपलोड करायी गयी, वहीं किसी भूल के कारण उनके (संवेदक) नाम पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तथाकथित पत्रांक–217 दिनांक–20.02.2014 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र उनके किसी प्रतिद्वंदी/स्पर्धी के विद्वेष के कारण उक्त अनुभव प्रमाण पत्र को साईबर कैफे में उनके निविदा कागजात के साथ संलग्न कर दिया गया है, जिसमें उनकी किसी भी रूप से अनुमति/सहमति नहीं है। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में काई भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है।

6. सम्यक समीक्षोपरान्त मेसर्स जितेन्द्र कुमार सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि निविदा ई–टेण्डरिंग पर आधारित थी तथा ई–टेण्डरिंग में सभी कागजातों का अपलोड संवेदक के PKI के माध्यम से किया जाता है। अतः इसे अमान्य किया जाता है। निविदा आमंत्रण में जाली कागजात के आधार पर निविदा लेने का प्रयास करने के लिये संवेदक मेसर्स जितेन्द्र कुमार सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेवार है।

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11– ''क''–(vii) एवं कार्यालय आदेश संख्या–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (S) दिनांक–18.06.2015 द्वारा निर्गत पत्र की कंडिका 8 (4) में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में निविदा प्राप्त करने के लिये गलत कागजात समर्पित किये जाने के कारण मेसर्स जितेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो०–फफदर, थाना–मुरार, जिला–बक्सर, बिहार, [निबंधन सं0–अ०प्र०/श्रेणी–द्वितीय–(02)–437/2012 पथ.] को अगले 10 (दस) वर्षो के लिये कालीसूची में डाला जाता है।

Sd/- 22/4/16

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (कार्य०)–198/2015 2829(E)/ पटना, दिनांक 25.4.16

प्रतिलिपि :– संवेदक, मेसर्स जितेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0–फफदर, थाना–मुरार, जिला–बक्सर (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 22/4/16

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य०)–198/2015 2829(E) /पटना, दिनांक 25.4.16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 22/4/16

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य०)–198/2015 2829(E) /पटना, दिनांक 25.4.16

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०–1, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 22/4/16

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

कृ०पृ०उ०

P.T.O

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य०)–198/2015 – 2829(E)/पटना, दिनांक 25.4.16

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध (कार्य०)–198/2015 – 2829(E)/पटना, दिनांक 25.4.16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, सभी कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

22.04.16